

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042025-262695 CG-DL-E-25042025-262695

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314] No. 314] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 25, 2025/वैशाख 5, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 25, 2025/VAISAKHA 5, 1947

# भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (संसद के अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक निकाय) अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2025

फा. सं. सीडब्ल्यूआर (1) /2025 .—जबिक लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए प्रारुप विनियम, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप-धारा (3) की अपेक्षा के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 8 अक्टूबर, 2024 में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2024, दिनांक 7 अक्टूबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त अधिसूचना संबधी राजपत्र को जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और जबिक उक्त राजपत्र की प्रति 8 अक्टूबर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

2761 GI/2025 (1)

और जबिक उक्त प्रारुप विनियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर इंस्टीट्यूट की परिषद द्वारा विचार किया गया है:

अब, अत:, लागत लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. (1) इस विनियमन को लागत और संकर्म लेखापाल (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
  - (2) ये शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. लागत और संकर्म लेखापाल विनियम, 1959 में, विनियम 89 में, "कलकत्ता",\* शब्द के स्थान पर "दिल्ली" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डी. पी. नंदी, सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन-III/4/असा./46/2025-26]

नोट:- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, तारीख 25 मई, 1959 में अधिसूचना संख्या 10(13) इंस/59 तारीख 25 मई, 1959 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर (1) 2014, तारीख 12 नवंबर, 2014 द्वारा संशोधित किए गए थे।

\*पश्चिम बंगाल राजधानी शहर (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2001 के तहत "कलकत्ता" का नाम परिवर्तित करके "कोलकाता" कर दिया गया है।

#### THE INSTITUTE OF COST ACCOUNTANTS OF INDIA

# (Statutory Body under an Act of Parliament)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2025

**F. No. CWR(1)/2025.**—Whereas the draft Regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, was published, as required by sub-section (3) of section 39 of the Cost Accountants Act, 1959 (23 of 1959), in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 8<sup>th</sup> October, 2024, *vide* notification number CWR(1) 2024, dated the 7<sup>th</sup> October, 2024, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the said Gazette containing the notification was made available to the public;

And whereas the copy of the said Gazette was made available to the public on the 8th October, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft regulations have been considered by the Council of the Institute;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Cost Accountants Act, 1959, the Council, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely:-

- 1. (1) This regulation may be called the Cost and Works Accountants (Amendment) Regulations, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, in regulation 89, for the word "Calcutta",\* the word "Delhi" shall be substituted.

D. P. NANDY, Secy. (OFFICIATING)

[ADVT.-III/4/Exty./46/2025-26]

**Note:-** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th May, 1959 *vide* Notification Number 10 (13). Ins/59 dated the 25th May, 1959 and lastly amended *vide* Notification Number CWR (1) 2014, dated the 12th November, 2014.

\* The name "Calcutta" has been renamed as "Kolkata" vide The West Bengal Capital City (Change of Name) Act, 2001.